ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

खाता / इन्द्राज दुरूस्ती आवेदन पत्र / रिपोर्ट / आदेश (राज0ए0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

सम्बन्ध

प्रार्थना पत्र क्रमांक	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील	प्रार्थीगण	प्रतिवादीगण
187/25	136	चाकुड़ा	कपासन	कैलाश बाई पुत्री ऊंकार	राज. सरकार

दायर दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफ्तर	पृष्ठ संख्या	आदेश	कार्यकारी विवरण
20/9/25	27/09/25				

आवेदन पत्र

श्रीमान
उपखण्ड अधिकारी
कपासन / कपासन
विषय :- राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,
ग्राम चाकुड़ा पटवार हल्का चाकुड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-77 खाता संख्या 17, 109, 133, 175, 229 में कैलाशी पुत्री ऊंकार के बजाय कैलाश बाई पुत्री ऊंकार गाडरी करवाने की कृपा करावे अतः उक्तानुसार आदेश फरमावे
दिनांक 20/9/2025

हस्ताक्षर प्रार्थीगण
कैलाशी

पटवारी रिपोर्ट

महोदयजी,
निवेदन है कि मौजा चाकुड़ा के खाता संख्या 17, 109, 133, 175, 229 मे कैलाशी पुत्री ऊंकार जाति गाडरी रेकार्ड दर्ज है जब कि प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड मे कैलाशबाई पुत्री ऊंकार जाति गाडरी रेकार्ड दर्ज है, अतः उक्त खातो मे कैलाशी पुत्री ऊंकार के बजाय कैलाशबाई पुत्री ऊंकार जाति गाडरी दर्ज किया जाना उचित होगा।
20/09/2025

हस्ताक्षर व मोहर पटवारी

गिरदावर रिपोर्ट

रिपोर्ट प.ह. एवं संलग्न दस्तावेजो अनुसार सही नुकसान किया जाना उचित है
गिरदावर
30-09-2025

हस्ताक्षर गिरदावर

तहसीलदार रिपोर्ट

तुलनात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट अनुसार ग्राम चाकुड़ा पटवार हल्का चाकुड़ा की जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता संख्या 17, 109, 133, 175, 229 में कैलाशी के बजाय कैलाशबाई इन्द्राज किया जाने की राजस्व अनुशंषा की जाकर मूल ही प्रत्रावली श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय को प्रेषित है ।

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
तहसीलदार (भू. अ.) कपासन

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र अनुसार एवं पटवारी गिरदावर एवं तहसीलदार की राजस्व अनुशंषा स्वीकार की जाती है । एवं तहसीलदार की अनुशंषा स्वीकार की जाती है । एवं तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राज0ए0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत मौजा चाकुड़ा पटवार हल्का चाकुड़ा तहसील कपासन की जमाबन्दी संवत 2074-77 के खाता संख्या 17, 109, 133, 175, 229 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नानुसार शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में दरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि)
चाकुड़ा	17, 109, 133, 175, 229	कैलाशी	कैलाशबाई

प्रतिलिपि :- 1. तहसीलदार कपासन 2. प्रार्थी श्री ..... 3. उक्त पत्रावली ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर कपासन
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़